यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋषकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋषकेश के माह 03/2014 से माह 03/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना लेखापरीक्षक तथा श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा दिनांक 23.10.2017 से 25.10.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधकारी के आंशक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. जौहरी एवं श्री हिमांशु म ण सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 05.03.2017 से 10.03.2014 तक श्री ए.सी. कटियार लेखापरीक्षा अधकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 08/2003 से माह 02/2014 तक एवं व्यय हेतु माह 08/2003 से 02/2014 तक के लेखा अभलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 03/2014 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 03/2014 से 03/2017 तक के लेखा अभलेखों की लेखा परीक्षा की गई है

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः भागीरथी वृत्त

(i) (ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1598.04
2015-16	900.49
2016-17	1194.88

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना	
	आबंटन (`)	व्यय(`)	आबंटन(`)	व्यय(`)
2014-15	101.21	101.21	1.54	1.54
2015-16	134.78	134.78	0.88	0.88
2016-17	130.86	130.86	2.63	2.63

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** शासन के द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई <u>C</u> श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋ षकेश को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋ षकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 04/2014 व 03/2016 को आय एवं व्यय की वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN-1

कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ₹ 0.18 लाख प्रतिभूति राशि का जमा न किया जाना।

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त,ऋषिकेश द्वारा जमानत जमा से संबन्धित दी गयी सूचना के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्र0सं0	अधिकारी/कार्मिक का नाम	पदनाम	जमानत की निधारित धनराशि(`)	कार्यालय में जमा धनराशि(`)	शेष धनराशि(`)
1.	श्री उमेंश चन्द्र रतूडी	सहायक लेखाकार	5,000	—	5,000
2.	श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिाकरी	5,000	—	5,000
3.	श्री सूरत लाल पठोई	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिाकरी	5,000	—	5,000
4.	श्री बालम सिंह नेगी	प्रधान सहायक	500	—	500
5.	श्री जयेन्द्र सिंह राणा	वरिष्ठ सहायक	500	—	500
6.	श्रीमती अनुराधा	वरिष्ठ सहायक	500	—	500
7.	कु0 निशा यादव	कनिष्ठ सहायक	500	—	500
8.	श्री अमित प्रिज्वाण	कनिष्ठ सहायक	500	—	500
9.	श्री विजेन्द्र सिंह बिष्ट	वाहन चालक	8,000	8,000	—
10.	श्री शान्ति प्रसाद उनियाल	पत्रवाहक	200	—	200
11.	श्री मूर्तिराम	माली	200	—	200
12.	श्री बॉबी कुमार	स्वच्छक	0	—	0
योग			**25,900**	**8,000**	**17,900**

उक्त के संबंध में इंगित किया जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि जमानत जमा की धनराशि जमा करने हेतु कार्यालय स्तर से पत्र जारी किए जा चुके है अतः संबन्धित कर्मचारियों से जमानत की धनराशि जल्द प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
194/2013-14	-	01	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋ षकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एस.एम. जोशी	वन संरक्षक
2	श्री आर.के. मश्रा	वन संरक्षक
3	श्री एस.पी. सुनाहि	वन संरक्षक
4	श्री सुशान्त पटनायक	वन संरक्षक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनि की रेती, ऋ षकेश को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी